

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 11/2018-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ)–केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट) ]

(रूचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण--**मूल अधिसूचना सं० 32-2017/ एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।